न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
निर्णय दिनांक: 06.01.2022

मुकदमा नम्बर 55/2020
ऑनलाईन नम्बर 2020/00107

1.भैराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट 2.तोलाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट 3.राजादेवी पत्नि भगवानाराम जाति जाट	निवासी गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर –वादीगण–

बनाम

1.ओमप्रकाश पुत्र हरूराम 2.श्रवण पुत्र हरूराम 3.शारदा पुत्री हरूराम 4.रामीदेवी पत्नि हरूराम 5.कोजाराम पुत्र लिछमणराम 6.सुरजादेवी पत्नि लिछमणराम 7.काली पुत्री लिछमणराम 8.बाधु पुत्री लिछमणराम 9.मुली पुत्री लिछमणराम 10.रूखमा पुत्री लिछमणराम	जातियान जाट निवासीगण गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

11.प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
12.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 11
4. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

यह वाद भैराराम वगैरहा ने जरिये अभिभाषक के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका रहन–सहन एंव चुला चक्की अलग–अलग है एंव गांव गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ के मूल निवासी है। यह कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 कि संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 939 रकबा 13.4100 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रोही ग्राम गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की चली आ रही है। यह कि वादगत खेत खसरा नम्बर 939 रकबा 13.4100 हैक्टेयर का मौखिक विभाजन कई वर्षो पूर्व हो चुका है एवं मौखिक विभाजन के अनुसार वादगत रकबा में उत्तरी तरफ 1/2 हिस्सा वादीगण की कब्जा काश्त एवं दक्षिण पश्चिमी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं इसी प्रकार पूर्वी दक्षिण तरफ प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 कि कब्जा काश्त चली आ रही है एवं कब्जा काश्त के अनुसार ही मौके पर मेड कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कर रखी है व कब्जा काश्त के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 अपने–अपने हिस्से को कास्त करते चले आ रहे है। यह कि वादगत रकबा का विधिवत विभाजन नही हुआ है। इसलिए वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर अपने हिस्से का विभाजन करवाने के अधिकारी है। यह कि वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर कृषि विकास कार्य करना चाहते है। जो कि विभाजन के पहले सम्भव नहीं है। जिसके चलते दिंनाक 08.09.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 से तहसील कार्यालय चलकर मौखिक विभाजन के आधार पर खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने वादीगण को खाता विभाजन करने इन्कार कर दिया व वादीगण कि सुधार कर उपजाऊ बनाई गई भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 द्वारा वादी को दिंनाक 08.09.2020 को उक्त खेत का विभाजन करवाने से इन्कार करने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादहेतु हासिल है व वादगत खेत वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा कास्त के होने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादाधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 12 लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है परन्तु कृषि भूमि के रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा किया जाता है। उक्त दावा कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन है। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 12 स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 वादगत खेतों का विधिवत रूप से विभाजन नहीं करवा रहे है व वादगत खेतो को विक्रय, हस्तान्तरण कर पैचिदगिया बढ़ा रहे है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 12 स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् से अनुमति प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 11 के यहां उक्त खेत रहन है इसलिये दावा में प्रतिवादी संख्या 11 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिससे उसके हितो पर विपरित असर पड़ता हो। यह है कि वादगत खेत रोही गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थिति होने से न्यायालय श्रीमान् को उक्त वाद सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि वादीगण का दावा उचित न्याय शुल्क पर हर तरफ से अन्दर मिंयाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 939 रकबा 13.4100 हैक्टेयर का मौखिक विभाजन के अनुसार वादगत रकबा में उतरी तरफ 1/2 हिस्सा वादीगण की कब्जा काश्त एवं दक्षिण पश्चिमी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं इसी प्रकार पूर्वी दक्षिण तरफ प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] के कब्जा काश्त चली आ रही है एवं कब्जा काश्त के अनुसार ही मौके पर कायम कर रखी है। इसी मौखिक बंटवारा के अनुसार विभाजन किया जाकर अलग से खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विभाजन किया जावे व तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स - अलग से तरमीम किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 12 को दिया जावे एवं अलग ही लगान कायम करवाया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोजित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हो जावे वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमान्जी कि अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 बावजूद रजिस्टर्ड डाक के सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया जिस पर स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पेश किया। वकील वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत है। वकी वादी द्वारा दिनांक 06.01.2022 को रहनमुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को आदेश दिया जाता हैं कि वादगत खेत खसरा नम्बर 939 तादादी 13.4100 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रोही ग्राम गुंसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ में वादीगण का स्टैट की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उतरी 1/2 हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग खाता कायम करें और अलग ही नक्सा अस्क में तरमीम करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06.1.22 सरे इजलास को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested